CERTIFICATE OF REGISTRATION

under

SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1860

(XXI of 1860)

No. S-17783 of 1987.

It is hereby certified that दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली

has this day been duly registered under the Societies Registration Act, 1860 (Act XXI of 1860) as amended from time to time in its application to the Union Territory of Delhi.

Given under my hand at Delhi this 17th day of June, One thousand nine hundred and eighty seven.

(Registration fee of Rs.50/- received)

REGISTRAR OF SOCIETIES

REGISTRAR OF SOCIETIES DELHI

Signature

Registrar of Societies,
Delhi Administration,
ISBT, Ist Floor,
DELHI - 110 006.

SEAL of the
Registrar of Societies.

18.6.87

CERTIFIED TO BE TRUE COPY

REGISTRAR OF SOCIETIES DELHI
DELHI

28/2

दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली का ज्ञापन-पत्र ।

1. नाम	:	संस्था का नाम दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली होगा ।
2. कार्यालय	:	दिल्ली संस्कृत अकादमी का कार्यालय संस्कृत कक्ष, शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली होगा जो परिस्थिति के अनुसार दिल्ली में कहीं भी स्थानान्तरित हो सकता है ।

उद्देश्य

1. दिल्ली के साहित्यक एवं सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में संस्कृत भाषा और साहित्य का सम्वर्धन तथा परिरक्षण करना ।

2. सांस्कृतिक, साहित्यक और शैक्षिक महत्व की मूलकृतियों का प्रकाशन तथा ऐसे महत्वपूर्ण साहित्य को प्रोत्साहित करना जो अब तक प्रकाशित न हो सका है ।

3. महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं वैज्ञानिक पुस्तकों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना । इसके अन्तर्गत उन कृतियों को भी सम्मिलित किया जाएगा जो राष्ट्रीय भावात्मक एकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो साथ ही उनके प्रकाशन की व्यवस्था भी करना ।

4. संस्कृत के साथ भारतीय विभिन्न भाषाओं के कोष ग्रन्थों, संदर्भ ग्रन्थों का निर्माण एवं प्रकाशन करना ।

5. संस्कृत के प्रकाशित अथवा अप्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य का संकलन एवं उसके अप्रकाशित भाग का प्रकाशन । इसमें संस्कृत की प्राचीन पाण्डुलिपियां भी सम्मिलित होगीं ।

6. दिल्ली के जनजीवन से सम्बन्धित संस्कृत साहित्य का संकलन, सम्पादन, प्रकाशन एवं निर्माण करना ।

7. संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में संस्कृत केन्द्रों की स्थापना करना एवं उन केन्द्रों को व्यवस्थित रूप से संचालित करना और उनके लिए पाठ्यपुस्तक तैयार करना एवं प्रकाशित करना ।

8. संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए संस्कृत विद्यालयों की स्थापना करना और उनके लिए आवश्यकता पड़ने पर पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा इत्यादि

की व्यवस्था करना एवं नैतिक शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम आदि तैयार करना एवं प्रचार करना ।

9. दिल्ली प्रशासन से अनुदान एवं सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों को शत-प्रतिशत अनुदान एवं सहायता देना एवं उनके लिए नीति-निर्देशक सिद्धांत बनाना एवं उनके आधार पर इन विद्यालयों का समस्त प्रशासनिक कार्य देखना । स्थिति के अनुसार यह अकादमी शिक्षा निदेशालय से भी एक मुस्त इनके लिए वार्षिक अनुदान एवं सहायता प्राप्त कर सकती है ।

10. संस्कृत विद्यालयों के छात्रों को संस्कृत अकादमी द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान करना ।

11. अकादमी के माध्यम से दिल्ली में नवोदय विद्यालयों की पद्धति पर संस्कृत के आवासीय विद्यालय स्थापित करना ।

12. संस्कृत की उत्कृष्ट कृतियों पर पुरस्कार देना, उसके प्रकाशन की व्यवस्था करना । यह पुरस्कार प्रादेशिक स्तर एवं अखिल भारतीय स्तर पर भी दिये जा सकते हैं ये पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किये जायेंगे ।

13. प्रतिवर्ष दिल्ली के संस्कृत के उच्च कोटि के साहित्यकारों एवं विद्वानों का सम्मान करना ।

14. दिल्ली के अभावग्रस्त संस्कृत विद्वानों को आर्थिक सहायता देना ।

15. संस्कृत की पत्र-पत्रिकाओं को प्रकाशित करना, पुस्तकालय खोलना और उनका विकास करना ।

16. दिल्ली संस्कृत पत्र-पत्रिकाओं को अनुदान देना ।

17. दिल्ली की संस्कृत सेवी संस्थाओं को उनके संस्कृत सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापों के लिए अनुदान देना ।

18. संस्कृत के उच्च कोटि के दिवंगत साहित्यकारों की जयन्तियों का आयोजन करना ।

19. संस्कृत भाषा एवं उसके साहित्य के विकास के लिए संस्कृत कवि सम्मेलनों तथा संस्कृत नाटकों के अभिनय का आयोजन करना एवं साथ ही समय-समय पर साहित्यक गोष्ठियों, विचार गोष्ठियों तथा सम्मेलनों का आयोजन करना ।

20. दिल्ली के माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/उच्चतम माध्यमिक एवं विश्वविद्यालयों में संस्कृत विषय में कक्षा क्रम से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देना ।

21. संस्कृत के शोध संस्थाओं की स्थापना करना और शोधार्थी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना ।

22. प्रौढ़ संस्कृत शिक्षार्थियों के लिए पाठशालाओं की स्थापना करना ।

23. संस्कृत शिक्षण, प्रशिक्षण आदि संस्कृत संबंधी नयी-नयी विधाओं का अन्वेषण एवं उनके अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था करना ।

24. संस्कृत के ग्रन्थों को खरीदना तथा प्रकाशन करना ।

25. संस्कृत से सम्बद्ध संगीत, चित्रकला, वास्तुकला आदि क्रिया-कलापों में संलग्न शिल्पी एवं विद्वानों को प्रोत्साहित करना एवं उन्हें अनुदान देना ।

25A [illegible]

26. संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा (पंजाब संशोधनअधिनियम "1957") के अधीन तथा अपेक्षित कार्यसमिति के सदस्यों, जिनकी कि व्यवस्था कार्य सौंपे गये हैं, के नाम व्यवसाय, पते एवं पद निम्न प्रकार से हैं:-

क्रम सं०	नाम व व्यवसाय	पता	समिति में पद
1.	श्री हरकिशन लाल कपूर उपराज्यपाल, दिल्ली	राजनिवास, दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री कुलानन्द भारतीय, कार्यकारी पार्षद (शिक्षा) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।	9 अलीपुर रोड, दिल्ली	कार्यकारी अध्यक्ष
3.	श्री नारायण चन्द पराशर, संसद सदस्य, प्राध्यापक, पी. जी. डी. ए. वी कालेज, श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली	9 महादेव रोड, नई दिल्ली	सदस्य
4.	श्री धर्मदास शास्त्री, भूतपूर्व संसद सदस्य	ए/90 नारायणा विहार, नई दिल्ली ।	सदस्य
5.	डा० गिरधारी लाल गोस्वामी, अध्यक्ष अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन, भूपेन्द्र भवन, नई दिल्ली ।	25/30 वैस्ट पटेल नगर नई दिल्ली ।	सदस्य
6.	डा० सत्यव्रत शास्त्री, प्रोफेसर (संस्कृत) दिल्ली विश्वविद्यालय ।	3/54 रूप नगर, दिल्ली	सदस्य

REGISTRAR OF SOCIETIES

........जारी...4

1	2	3	4
7.	डा0 मण्डन मिश्र, निदेशक, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, भारत सरकार, नई दिल्ली ।	टाइप-6, मकान नं0-1, श्री लालबहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कैम्पस कटवारिया सराय, नई दिल्ली ।	सदस्य
8.	डा0 कमलाकान्तमिश्र, उप-शिक्षा सलाहकार (संस्कृत) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।	169-नेहरू अपार्टमैंट, नई दिल्ली ।	सदस्य
9.	डा0 नारायण दत्त पालीवाल, उप-निदेशक (भाषा), दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।	1646 गुलाबी बाग, दिल्ली	सदस्य
10.	डा0 मोहन चन्द, संस्कृत विभाग, रामजस कालेज, दिल्ली	बी-165 नेहरू विहार, मुस्तफाबाद, करावल नगर, शाहदरा ।	सदस्य
11.	आचार्य विद्या सिद्धि पाण्डेय, राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त (संस्कृत शिक्षक)	62-मस्जिद मोठ, डी0डी0ए0 फ्लैटस, नई दिल्ली-110048.	सदस्य
12.	डा0 योगानन्द शास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्राध्यापक भगत सिंह कालेज, कालकाजी, नई दिल्ली ।	24 गीतांजली, नई दिल्ली	सदस्य
13.	श्री गोपाल कुमार भाट्टाचार्य, सचिव (शिक्षा एवं भाषा), दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।	7/12 डी0डी0ए0 फ्लैटस, भगवान दास रोड, नई दिल्ली	सदस्य
14.	श्री देवी सिंह नेगी, शिक्षा निदेशक, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।	9-ई0ए0सी0 फ्लैटस, राजपुर रोड, दिल्ली ।	सदस्य
15.	श्रीकृष्ण सेमवाल, संस्कृत अधिकारी, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।	सी-653 दिल्ली प्रशासन फ्लैटस, तिमारपुर, दिल्ली ।	सचिव

27. हम अधोहस्ताक्षरी संस्था के ज्ञापन पत्र का अनुसरण करतेहुए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 (पंजाब संशोधित अधिनियम 1957 के अधीन दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली प्रशासन, संस्कृत कक्ष,

....जारी...5

शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली के नाम से इस संस्था की स्थापना करने तथा इसको पंजीकृत कराने के इच्छुक हैं ।

क्रम सं0	नाम व व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1.	श्री हरकिशन लाल कपूर, उपराज्यपाल, दिल्ली ।	राजनिवास, दिल्ली	
2.	श्री कुलानन्द भारतीय, कार्यकारी पार्षद्‌ (शिक्षा) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।	9 अलीपुर रोड, दिल्ली	
3.	श्री नारायण चन्द पराशर, संसद सदस्य, प्राध्यापक, पी0जी0डी0ए0वी0 कालेज, निवासपुरी, नई दिल्ली ।	9 महादेव रोड, नई दिल्ली	
4.	श्री धर्मदत्त शास्त्री, भूतपूर्व संसद सदस्य	ए/90 नारायणा विहार, नई दिल्ली ।	
5.	डा0 गिरधारी लाल गोस्वामी, अध्यक्ष अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन, भूपेन्द्र भवन, नई दिल्ली ।	25/30 वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली ।	
6.	डा0 सत्यव्रत शास्त्री, प्रोफेसर (संस्कृत) दिल्ली विश्वविद्यालय ।	3/54 रूप नगर, दिल्ली ।	
7.	डा0 मण्डन मिश्र, निदेशक, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, भारत सरकार, नई दिल्ली ।	टाइप-6, मकान नं0-1, श्री लालबहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ कैम्पस कटवारिया सराय, नई दिल्ली ।	
8.	डा0 कमलाकान्त मिश्र, उप-शिक्षा सलाहकार (संस्कृत) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।	169-नेहरू अपार्टमेंट, नई दिल्ली	
9.	डा0 नारायण दत्त पालीवाल, उप-निदेशक (भाषा) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।	1646 गुलाबी बाग, दिल्ली	

REGISTRAR OF SOCIETIES DELHI

......जारी....6

1	2	3	4
10.	डा० मोहन चन्द, संस्कृत विभाग, रामजस कालेज, दिल्ली ।	बी-165 नेहरू विहार, मुस्तफाबाद, करावल नगर, शाहदरा ।	
11.	आचार्य विद्या निधि पाण्डेय, राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त {संस्कृत} अध्यापक ।	62 मस्जिद मोठ, डी०डी०ए० फ्लैटस, नई दिल्ली-110048	विद्यानिधि पाण्डेय
12.	डा० योगानन्द शास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्राध्यापक भगत सिंह कालेज, कालकाजी, नई दिल्ली ।	सी-24 गीतांजली, नई दिल्ली 110017	
13.	श्री गोपाल कुमार भट्टाचार्य, सचिव {शिक्षा एवं भाषा}, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।	7/12 डी०डी०ए० फ्लैटस, भगवान दास रोड, नई दिल्ली ।	
14.	श्री देवी सिंह नेगी, शिक्षा निदेशक, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।	9 डी०ए०सी० फ्लैटस, राजपुर रोड, दिल्ली ।	
15.	श्री श्रीकृष्ण सेमवाल, संस्कृत अधिकारी, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली ।	सी-653 दिल्ली प्रशासन फ्लैटस, तिमारपुर, दिल्ली ।	16-4-87

प्रमाणित किया जाता है कि इस संस्था के उक्त ज्ञापन पत्र के अतिरिक्त कोई ज्ञापन पत्र नहीं है ।

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 21 {पंजाब संशोधन अधिनियम 1957 के समस्त उप-बन्ध इस संस्था पर लागू होंगें ।

प्रमाणित किया जाता है कि इस संस्था का यह ज्ञापन पत्र माननीय उप-राज्यपाल महोदय द्वारा गठित दिल्ली प्रशासन की संस्कृत सलाहकार समिति की 5.11.86 की बैठक में पास किया गया और माननीय उपराज्यपाल महोदय ने 9.3.87 को इस का अनुमोदन किया ।

{हरकिशन लाल कपूर}	{कुलानन्द भारतीय}	{श्रीकृष्ण सेमवाल}
अध्यक्ष	कार्यकारी अध्यक्ष	सचिव

REGISTRAR OF SOCIETIES DELHI

(R.K. SHARMA)
Superintendent

दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली प्रशासन के नियम एवं उप-नियम ।

1. संस्था का नाम दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली प्रशासन, होगा ।

2. जब तक संदर्भ में अपेक्षित न हो इन नियम एवं उप-नियमों में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्द एवं पदों का अभिप्राय निम्नलिखित है:-

" अधिनियम" से अभिप्राय दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1957 के पंजाब संशोधन अधिनियम) से है ।

"सोसायटी" से अभिप्राय दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली से है ।

"सदस्य" से अभिप्राय सोसाइटी के सदस्य से है ।

"कार्यकारी समिति" से अभिप्राय इन नियमों के अधीन गठित कार्यकारी समिति से है ।

"अध्यक्ष/सभापति" से अभिप्राय निम्नलिखित खण्ड में यथा परिभाषित सोसायटी के अध्यक्ष/सभापति से है ।

"सचिव" से अभिप्राय दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली के सचिव से है ।

3. कार्यालय — दिल्ली संस्कृत अकादमी का कार्यालय, संस्कृत कक्षा, शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली होगा जो परिस्थिति के अनुसार दिल्ली में कहीं भी स्थानान्तरित हो सकता है ।

4. सदस्यता — दिल्ली संस्कृत अकादमी की समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे: जिस का कार्यकाल दो वर्ष का होगा ।

(1) उपराज्यपाल, दिल्ली अध्यक्ष/सभापति ।

(2) कार्यकारी पार्षद (शिक्षा) कार्य कारी अध्यक्ष ।

REGISTRAR OF SOCIETIES
REGISTRAR OF SOCIETIES DELHI

.......जारी...2

(3) उपराज्यपाल, दिल्ली कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 20 सदस्यों को नामित करेंगे। इसमें अपनी हैसियत से अथवा पदेन स्थिति से भारत सरकार, दिल्ली प्रशासन अथवा दिल्ली की किसी स्थानीय निकाय के कर्मचारी तथा गैर सरकारी जो कि अकादमी के कार्यों एवं इसके उद्देश्यों की अभिवृद्धि के लिए उपयोगी हों, शामिल होंगे।

(4) उपर्युक्त खण्ड में यथा उल्लिखित शर्तों के आधार पर उपराज्यपाल, दिल्ली एक सचिव नियुक्त करेंगे। वह दिल्ली संस्कृत अकादमी का सदस्य सचिव पदेन होगा। संस्कृत अकादमी का सचिव संस्कृत भाषा का समर्पित विद्वान् एवं संस्कृत संस्थाओं के कार्य तथा प्रशासन का दीर्घ अनुभवी हो।

5. अकादमी की सदस्यता की शर्तें।

(1) पदेन जिन सदस्यों को नियम 4(3) के अधीन नियुक्त किया जाता है उनकी अकादमी सदस्यता उनके पद से हटते ही समाप्त हो जायेगी।

(2) पदेन सदस्यों (नियम 4(3) में उल्लिखित) से भिन्न प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उसकी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष होगा किन्तु पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता।

(3) यदि कोई सदस्य त्याग-पत्र देता है, विक्षिप्त हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है अथवा उसके नैतिक अधमतायुक्त सहित किसी फौजदारी के अपराध में दोषी ठहराया जाता है अथवा बगैर किसी वैध कारण के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने के कारण अथवा उपराज्यपाल द्वारा सुविचारित किसी अन्य कारण से अकादमी की सदस्यता से उनके द्वारा हटा

...जारी...3

दिया जाता है । इस संबंध में उपराज्यपाल का निर्णय अन्तिम होगा ।

§4§ नियम 4§3§ में उल्लिखित पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य जब अकादमी की सदस्यता से त्याग-पत्र अकादमी के अध्यक्ष को सम्बोधित करके भेजेगा एवं त्याग पत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकार करने की तिथि से प्रभावी होगा ।

§5§ पदेन सदस्य से भिन्न अकादमी की सदस्यता की कोई भी रिक्ति उपराज्यपाल, दिल्ली द्वारा भरी जायेगी एवं ऐसा नियुक्त व्यक्ति अकादमी की अनबीती अवधि तक के लिए पदासीन रहेगा ।

§6§ अकादमी में कोई भी पद रिक्त होने तथा इसके किसी सदस्य के नामित अथवा नियुक्त न किये जाने अथवा उसमें कोई त्रुटि रहने के बावजूद अकादमी अपना कार्य करती रहेगी ।

6. अध्यक्ष

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल दिल्ली संस्कृत अकादमी दिल्ली के अध्यक्ष/सभापति होंगे ।

7. कार्यकारी अध्यक्ष

कार्यकारी पार्षद्§शिक्षा§ अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

8. <u>अकादमी का सचिव</u>

§1§ उपराज्यपाल द्वारा एक वैतनिक व नियमित अधिकारी की सचिव के रूप में विधिवत् नियुक्ति की जायेगी जो अकादमी के कार्यालय का कार्यभारी अधिकारी होगा ।

§2§ सचिव अध्यक्ष के पूर्ण पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन के अधीन अकादमी के दिन प्रतिदिन के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा ।

§3§ सचिव को अकादमी के कार्यों को सुचारु रूप में चलाने के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराये जायेंगे ।

§4§ संस्था द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों के अधीन सचिव

.....जारी...4

REGISTRAR OF SOCIETIES DELHI

मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा जोकि अध्यक्ष के निर्देशन एवं मार्गदर्शन से अकादमी के समुचित प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(5) सचिव अकादमी की वार्षिक रिपोर्ट, उसका लेखा तथा बजट सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

(6) सचिव कर्मचारियों के कर्तव्य निर्धारित करेगा तथा कार्यालय पर यथा आवश्यक पर्यवेक्षण तथा अनुशासनिक नियंत्रण रखेगा ।

(7) सचिव लेखकों अनुवादकों से उनके कार्य के बारे में लिखा-पढ़ी करेगा, पाण्डुलिपियों की जांच करेगा, उसका सम्पादन करवायेगा तथा अध्यक्ष की स्वीकृति लेने के बाद उनके छपने की व्यवस्था करेगा । वह अकादमी की ओर से दिल्ली प्रशासन के विभिन्न विभागों तथा अन्य निकायों से सम्पर्क भी बनाये रखेगा ।

(8) सचिव अकादमी के निर्धारित उद्देश्यों के कार्यान्वित के लिए प्रतिबन्धित रहेगा ।

9. <u>अकादमी की बैठक</u>

(1) अकादमी की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी । अकादमी की बैठक चलाने के लिए सदस्यों को कम से कम 15 दिन पहले सूचित किया जायेगा ।

(2) सचिव अध्यक्ष से परामर्श करने के बाद बैठक बुलाएंगे।

(3) अकादमी की बैठक के लिए आठ सदस्यों को कोरम की अपेक्षा होगी परन्तु उस बैठक का अधिसूचित कार्य करने के लिए कोई कोरम आवश्यक नहीं होगा जो इसके कोरम) के अभाव में स्थगित कर दी गई हो ।

(4) बैठक में उपस्थित सदस्यों में से अधिकांश सदस्यों के निर्णय को अकादमी का निर्णय समझा जाएगा ।

.....जारी...5

(5) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का अभिलेख रखा जायेगा ।

(6) वर्ष की पहली बैठक जो सामान्यतया 31 मार्च से पहले आयोजित होगी, वार्षिक सामान्य बैठक होगी ।

(क) यह मांग अकादमी के कम से कम 7 उपस्थित सदस्यों द्वारा की गयी हो ।

(ख) उक्त मांग सम्बन्धित सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ सचिव के समक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत की गयी हो ।

(ग) जिस कारण से बैठक बुलाने की आवश्यकता पड़ी अर्थात् विषय का उल्लेख विशेष रूप से किया गया हो ।

10. सामान्य वार्षिक बैठक में होने वाली कार्यवाही:-

(1) अकादमी की सामान्य वार्षिक बैठक में सचिव निम्नलिखित मदें रखेंगे:-

(क) अकादमी का वार्षिक बजट जिसमें अगले वित्त वर्ष के लिए सम्भावित आय और व्यय के अनुमान का उल्लेख हो तथा चालू वर्ष की पूरक मांग हों ।

(ख) अकादमी के कार्यचालन से सम्बन्धित पिछले वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट तथा भविष्य के कार्यक्रम की रूप रेखा ।

(ग) अकादमी की सम्पत्ति परिसम्पत्ति तथा देयता से संबंधित तुलन-पत्र और लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित (अकादमी का) पिछले वित्त वर्ष का वित्तीय विवरण ।

(घ) कोई अन्य विषय जिसे अध्यक्ष की अनुमति से विधिवत प्रस्तुत किया जाए ।

(2) तुलन-पत्र की प्रतियां, वित्तीय विवरण तथा

.......जारी...6

(19)

उपर्युक्त नियम (1) में उल्लिखित अकादमी के कार्यचालन की रिपोर्ट अकादमी के सचिव द्वारा उपराज्यपाल, दिल्ली प्रशासन को सामान्य वार्षिक बैठक के 15 दिन के भीतर भेजी जायेगी ।

12. कार्यकारी समिति

इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(क) 1. अकादमी के सभापति/अध्यक्ष ।

2. अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष ।

खण्ड 4(3) में शामिल सदस्यों में से अध्यक्ष द्वारा चुने गये पांच (5) सदस्य परन्तु इसमें नियमानुसार अकादमी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया सदस्य शामिल नहीं है ।

अकादमी के सचिव-संयोजक ।

(ख) अकादमी के सचिव कार्यकारी समिति के संयोजक होंगे ।

(ग) कार्यकारी समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की कार्य अवधि भी अकादमी की कार्य अवधि की तरह 2 वर्ष की होगी ।

(घ) यदि कोई सदस्य बगैर किसी वैध कारण के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उपराज्यपाल, दिल्ली द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी ।

13. कार्यकारी समिति की शक्तियां:-

(1) समिति नीति संबंधी मामलों पर अकादमी के निर्णयों को कार्यान्वित करेगी तथा अकादमी के कार्यों को चलाने की व्यवस्था करेगी ।

(2) समिति के अधीन वे समस्त शक्तियां होंगी जो संस्था के ज्ञापन में उल्लिखित अकादमी के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक तथा कालोचित हों ।

.....जारी...7

(3) उपर्युक्त उपनियम(1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की सामान्यता पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के समिति के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी ।

(क) संस्कृत में पुस्तकों तथा अन्य प्रकार के साहित्य के प्रस्तुतीकरण तथा प्रकाशन से संबंधित अपनी नीति निर्धारित करना ।

(ख) अपना कार्य और प्रशासन चलाने के लिए नियम बनाना, अपनाना तथा परिवर्तन करना ।

(ग) अकादमी के कर्मचारियों को नियुक्त, स्थायी, कार्यभार मुक्त तथा पदच्युत करना एवं पदों को आवश्यकतानुसार सृजन करना ।

(घ) अकादमी की स्वीकृति से कर्मचारियों की सेवा शर्तों को निर्धारित करना ।

(ङ) अकादमी के लिए निधि प्राप्त करना उसे रखना तथा खर्च करना तथा इसको (आमदनी की) सम्पत्ति तथा कार्यकलापों का प्रबन्ध देखना ।

(च) अकादमी की पूर्व अनुमति से तथा अध्यक्ष की स्वीकृति के अधीन कोई सम्पत्ति खरीदना, उसे ऋण पर लेना अन्यथा सम्पत्ति अधिगृहीत करना अथवा बेचना ।

(छ) अकादमी के किसी कार्य को सामान्य रूप से चलाने हेतु अथवा तदर्थ प्रयोजन के लिए एक अथवा उपसमितियों की नियुक्ति करना ।

(ज) किसी सदस्य अथवा सदस्यों को (तीन से अधिक नहीं) किसी कार्य में उसका परामर्श लेने के लिए सहयोजित करना ।

14. कार्य समिति की बैठकें:-

(1) समिति की बैठक महीने में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित होगी तथा प्रत्येक ऐसी बैठक के लिए तीन दिन पहले सूचित किया जाएगा । परन्तु आपात् बैठक 24 घंटे की सूचना पर बुलायी जा सकती है ।

(2) सचिव समिति के संयोजक होंगे तथा अध्यक्ष से परामर्श के बाद बैठक बुलायेंगे ।

.....जारी....8

(3) सचिव द्वारा ऐसी प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का अभिलेख रखा जायेगा ।

(4) मौजूदा सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया गया निर्णय समिति का निर्णय माना जायेगा ।

(5) व्यक्तिगत रूप से एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति पर कौरम पूरा समझा जाएगा । परन्तु उस बैठक का अधिसूचित कार्य करने के लिए कोई कौरम अपेक्षित नहीं होगा जो कौरम के अभाव में स्थगित कर दी गयी है ।

(6) अध्यक्ष तथा उसकी अनुपस्थिति में ~~उपाध्यक्ष~~ कार्यकारी अध्यक्ष यदि नामित हो तो उसे समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगें परन्तु किसी बैठक में यदि दोनों ही अनुपस्थिति रहते हैं तो उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने आप में से चुने हुए सदस्य ही अध्यक्षता करेगें ।

REGISTRAR OF SOCIETIES

15. वित्त लेखा एवं लेखा परीक्षा:-

(1) अकादमी उपयुक्त लेखा तथा अन्य संबंधित अभिलेख रखेगी ।

(2) अकादमी के लेखा को अकादमी द्वारा नियुक्त किये गये लेखा परीक्षकों द्वारा वार्षिक जांच की जाएगी ।

16. कोषाध्यक्ष

(1) अकादमी के अध्यक्ष वित्तीय नियमों तथा विनियमों के पर्याप्त ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को अकादमी कोषाध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं ।

(2) बैंक-लेखा कोषाध्यक्ष और सचिव स्वयं अपने हस्ताक्षरों के अधीन रखेगें ।

17. सामान्य उपबन्ध:-

(1) अकादमी की सम्पत्ति से हुई आय संस्था के ज्ञापन में उल्लिखित उद्देश्यों की संवृद्धि के लिए खर्च की जायेगी । अकादमी की किसी सम्पत्ति अथवा आय के किसी भाग को किसी पूर्व अथवा वर्तमान सदस्य को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से लाभांश, बोनस अथवा अन्य रूप से हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा ।

....जारी....9

(2) अकादमी से संबंधित सभी संविदायें और अन्य दस्तावेज स्पष्ट रूप से अकादमी के नाम में किये जायेंगे तथा समिति के कार्यसचिव एवं उस प्रयोजन के लिए कार्यकारी समिति द्वारा नामित सदस्य अकादमी की ओर से उसे निष्पादित करेंगे ।

(3) अकादमी द्वारा नियुक्त कियेगये इसके अथवा किसी कार्यकारी समिति के सदस्य जो दिल्ली प्रशासन अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा सांविधिक निकायों के कर्मचारी हैं वे अपने सरकारी/सांविधिक निकायों से संबंधित नियमों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे । अकादमी के अन्य सदस्य भारत सरकार के प्रथम श्रेणी कर्मचारियों के लिए ग्रह्य भत्ता होंगे ।

(4) इन नियमों की व्याख्या व्यवस्थित मामलों के संबंध में कोई विवाद उठा खड़ा होने पर उसे उपराज्यपाल महोदय के पास भेजा जाएगा और उस पर उनका निर्णय अन्तिम होगा ।

17. भंग किया जाना:

आवश्यक होने पर सोसायटी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा एवं 14 के अनुसार निर्धारित उपबंधों के अधीन भंग किया जा सकता है ।

18. नियमों में संशोधन:

संशोधन के प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलायी गयी अकादमी की सामान्य बैठक में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 12 एवं 12(क) के अनुसार निर्धारित उपबंधों के अधीन नियमों को संशोधित, परिवर्धित अथवा परिवर्तित किया जा सकता है।

19. मुकदमें

दिल्ली संस्कृत अकादमी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 6 के अनुसार दिल्ली संस्कृत अकादमी के नाम से अपने सचिव द्वारा किसी पर मुकदमा चला सकती है अथवा इस नाम से उसपर मुकदमा चलाया जा सकता है ।

....जारी....10

(93)

20. वार्षिक सूची:

सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 4 के अनुसार सोसाइटी प्रत्येक वर्ष अपनी कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची सोसाइटी पंजीयक के कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।

21. प्रयोज्यता:

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथा विस्तारित सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 21 (पंजाब संशोधन अधिनियम 1957) के सभी उपबन्ध इस सोसाइटी पर लागू होंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि इस संस्था के नियम एवं उपनियम के अतिरिक्त संस्था के कोई भी नियम उपनियम नहीं हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि इस संस्था के नियम एवं उपनियम माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा गठित दिल्ली प्रशासन की संस्कृत सलाहकार समिति की 5.12.86 की बैठक में पास किये गये हैं और माननीय उपराज्यपाल महोदय ने 9.3.87 को इनका अनुमोदन किया है।

प्रमाणित किया जाता है कि दिल्ली संस्कृत अकादमी के नियम एवं उपनियमों की यह सही प्रति है।

REGISTRAR OF SOCIETIES

(हरकिशन लाल कपूर)
अध्यक्ष

(कुलानन्द भारतीय)
कार्यकारी अध्यक्ष

(श्रीकृष्ण सेमवाल)
सचिव